कार्यकारी सारांश

हरियाणा डिजिटल सशक्तिकरण और सेवाओं का उपयोग करने के लिए (DESH) विकास कार्यक्रम

कार्यक्रम और अपेक्षित परिणाम

प्रस्तावित 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विश्व बैंक समर्थित प्रोग्राम-फॉर-रिजल्ट्स (PforR) ऑपरेशन Haryana Digital Empowerment and Services to Harness (DESH) Growth Program सार्वजनिक सेवाओं में जिम्मेदार Artificial Intelligence (AI) को गति देगा, डिजिटल सेवाओं के उपयोग को बढ़ाएगा और हरियाणा में डिजिटल रूप से सक्षम रोजगार का विस्तार करेगा। इसके तीन परिणाम क्षेत्र हैं (1) सार्वजनिक सेवा वितरण और नवाचार के लिए सुरक्षित और जिम्मेदार AI को बढ़ाना; (2) बेहतर सेवा वितरण के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना; और (3) डिजिटल रूप से सक्षम नौकरियों के लिए उद्योग के नेतृत्व में कौशल। नौ संवितरण-लिंक्ड संकेतक सेवा उपयोग, डिजिटल रूप से सक्षम नौकरियों और सरकारी AI उपयोग के मामलों को ट्रैक करते हैं। कार्यक्रम 3.5 मिलियन लोगों और 100,000 डिजिटल रूप से सक्षम नौकरियों के लिए बेहतर डिजिटल-सेवा पहुंच का लक्ष्य रखता है।

कार्यान्वयन और लाभार्थी

ARJUN (AI for Resilient Jobs, Urban Air Quality & Next-Gen Skills) Special Purpose Vehicle (SPV) अर्जुन (एआई फॉर रेजिलिएंट जॉब्स, अर्बन एयर क्वालिटी एंड नेक्स्ट-जेन स्किल्स) स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसपीवी) अपने गवर्निंग बोर्ड की एक उप-समिति की निगरानी और एक परियोजना प्रबंधन इकाई और कार्यान्वयन-एजेंसी परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों के समर्थन के साथ कार्यान्वयन का नेतृत्व करता है। CRID, राज्य आईटी विभाग, HARTRON और HKCL एचकेसीएल की देखरेख करता है। भाग लेने वाली एजेंसियां परिणाम देती हैं और न्यासी, खरीद और पर्यावरण और सामाजिक (ई एंड एस) जिम्मेदारियों का प्रबंधन करती हैं। अर्जुन विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम संचालन मैनुअल (POM – Program Operational Manual) तैयार करेगा। लाभार्थियों में SARAL 2.0 और HPPP-सक्षम सेवाओं का उपयोग करने वाले नागरिक शामिल हैं, विशेष रूप से वंचित परिवार; छात्र और नौकरी चाहने वाले; सरकारी अधिकारी; शोधकर्ता और शैक्षणिक संस्थान; और स्टार्टअप, इनक्यूबेटर और उद्योग भागीदार। डिजिटलीकरण कागज और यात्रा को कम कर सकता है, संसाधन प्रबंधन और पर्यावरणीय जानकारी में सुधार कर सकता है, और सक्रिय सेवाओं और डेटा-आधारित लक्ष्यीकरण के माध्यम से पात्रता को अधिक सुलभ बना सकता है।

पर्यावरण और सामाजिक मूल्यांकन

PforR आवश्यकताओं के तहत तैयार किए गए पर्यावरण और सामाजिक प्रणाली मूल्यांकन (Environmental and Social Systems Assessment -ESSA) ने छह (six) PforR कोर सिद्धांतों के समानांतर लागू प्रणालियों और क्षमता की समीक्षा की और कार्यान्वयन एजेंसियों, विक्रेताओं, प्रशिक्षकों और लाभार्थियों से परामर्श किया। मसौदे को अंतिम रूप देने से पहले एक राज्य-स्तरीय कार्यशाला में खुलासा और चर्चा की जानी है। कुल मिलाकर ई एंड एस जोखिम मध्यम है (E&S risks are moderate): यह कार्यक्रम मुख्य रूप से डिजिटल है और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में बड़े सिविल कार्य, भूमि अधिग्रहण और गतिविधियों को शामिल नहीं करता है, लेकिन भाग लेने वाली एजेंसियों को मजबूत, निरंतर जोखिम-प्रबंधन क्षमता की आवश्यकता होती है। अर्जुन के पास बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं का नेतृत्व करने का अनुभव है; कई अन्य एजेंसियां पहली बार विश्व बैंक समूह के साथ जुड़ रही हैं।

प्रमुख जोखिम और प्रबंधन उपाय

पर्यावरण और सामाजिक जोखिम (E&S risks)

प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे आईटी उपकरण और बैटरी, डेटा-सेंटर बिजली का उपयोग, और विद्युत, आग, रासायनिक और एर्गोनोमिक सुरक्षा हैं। जल-उपयोग जोखिम मौजूदा एयर-कूल्ड सुविधाओं द्वारा सीमित है, लेकिन आधारभूत ऊर्जा और जल ऑडिट महत्वपूर्ण बने हुए हैं। प्रशिक्षण और एआई सुविधाओं को व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (ओएचएस. OHS-Occupational Health and Safety) नियंत्रण की भी आवश्यकता होती है। सामाजिक जोखिमों में
बदलाव के दौरान अस्थायी असुविधा, कौशल और नौकरियों तक असमान पहुंच, कमजोर परामर्श और श्रम शिकायतों से निपटने, साइबर सुरक्षा खतरे और ऑनलाइन लिंग-आधारित हिंसा (Gender based violence- GBV) शामिल हैं।

प्राथमिकता कार्रवाइयां (Key recommendations)

- **संस्थागत प्रणाली।** अर्जुन और प्रत्येक कार्यान्वयन एजेंसी में ई एंड एस फोकल प्वाइंट नियुक्त करना; स्क्रीनिंग, पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन योजना (ईएसएमपी, ESMP Environmental and Social management plan), ओएचएस और घटना-रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को अपनाना; कार्यान्वयन के दौरान गतिविधियों की जांच करना और हर छह महीने में प्रगति की रिपोर्ट करना।
- **संसाधन दक्षता और अपशिष्ट।** ई-अपशिष्ट/बैटरी संग्रह और अधिकृत निपटान प्रक्रियाओं का परिचय; पहली खरीद से पहले आईटी खरीद में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व और टेक-बैक क्लॉज शामिल करें। ऊर्जा/जल ऑडिट करें, ≤1.5 का बिजली उपयोग प्रभावशीलता लक्ष्य निर्धारित करें, और खरीद और संचालन में ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय-ऊर्जा और सुविधा सुरक्षा मानकों को शामिल करें।
- **समावेशन और पहुंच।** सरल 2.0 के लिए वेब, मोबाइल और सहायता/ऑफलाइन चैनल बनाए रखें, ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने की संभावना कम होने वाले लोगों तक सक्रिय पहुंच के साथ। प्रशिक्षण, नौकरियों और उद्यमिता के लिए सुलभ संचार और स्वयंसेवक के नेतृत्व वाली लामबंदी में सुधार; लिंग और कमजोर समूह द्वारा भागीदारी और परिणामों को ट्रैक करें।
- **शिकायत निवारण।** नागरिकों, प्रशिक्षुओं और गिग/फ्रीलांस कार्यकर्ताओं के लिए प्रभावशीलता के छह महीने के भीतर एक सुलभ कार्यक्रम-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम) स्थापित करना। शिकायतों और समाधान को ट्रैक करना; प्रशिक्षण केंद्रों में कार्यात्मक आंतरिक शिकायत समितियों, गोपनीय रिपोर्टिंग और रेफरल व्यवस्था को बनाए रखना।
- **डेटा गवर्नेंस।** डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और इसके नियमों के अनुरूप सहमति, डेटा न्यूनीकरण और उद्देश्य सीमा पर एजेंसी की क्षमता को मजबूत करना। राज्य डेटा और सुरक्षित-एआई ढांचे को संरेखित करना और राज्य सुरक्षा संचालन केंद्र के माध्यम से निरंतर खतरे की निगरानी और घटना प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करना।

कार्यक्रम कार्य योजना के तहत प्रशिक्षण में नागरिक जुड़ाव, पहुंच और समावेशन, ओएचएस, संसाधन दक्षता, लिंग और जीबीवी, साइबर सुरक्षा और गोपनीयता शामिल होगी। निगरानी में समावेशन, घटनाएं, ई-कचरा निपटान, संसाधन ऑडिट और जीआरएम प्रदर्शन शामिल होंगे।

Draft

कार्यक्रम कार्य योजना

E&S PAP

कार्रवाई विवरण	जिम्मेदारी	समय	पूर्णता मापन
ई एंड एस जोखिमों और ईएसएमपी आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए सभी परियोजना गतिविधियों की स्क्रीनिंग और निगरानी करें.	ARJUN with all IAs	परियोजना प्रभावशीलता के 6 महीने के भीतर	वर्ष 1: आईए स्क्रीनिंग सूची तैयार की गई और अपनाई गई। वर्ष 2: आईएसएम में स्क्रीन-गतिविधि रिपोर्ट।
सभी कार्यान्वयन करने वाली संस्थाएं विकसित करेंगी- ई एंड एस प्रशिक्षण मॉड्यूल: ओएचएस, नागरिक जुड़ाव, जीबीवी, संसाधन दक्षता (जल/ऊर्जा), और अन्य प्रासंगिक विषय.	ARJUN with HKCL	परियोजना प्रभावशीलता के 6 महीने के भीतर	वर्ष 1: प्रशिक्षण कैलेंडर और पाठ्यक्रम विकसित किया गया। वर्ष 2: आईएसएम में पूर्ण-प्रशिक्षण रिपोर्ट।
ई-waste/बैटरी प्रबंधन एसओपी तैयार करना; बैटरी और छोड़े गए आईटी उपकरणों का अनुपालन निपटान, सभी गतिविधियों के लिए अनिवार्य ओएचएस और डेटा-सेंटर ऊर्जा/जल ऑडिट सुनिश्चित करना।	ARJUN with DITECH, CRID and HARTRON	परियोजना प्रभावशीलता के 6 महीने के भीतर	वर्ष 1: ई-कचरा एसओपी विकसित/अपनाए गए; ऊर्जा/जल ऑडिट एसओपी विकसित किए गए। वर्ष 2: ISMs में पर्यावरण प्रबंधन रिपोर्ट जिसमें OHS, ई-अपशिष्ट और ऊर्जा/जल ऑडिट शामिल हैं।

Technical PAPs

कार्रवाई विवरण	जिम्मेदारी	समय	पूर्णता मापन
कार्यान्वयन, न्यासी, ई एंड एस और सत्यापन व्यवस्था को कवर करने वाले पीओएम को अपनाएं.	ARJUN SPV (PMU), consulting CRID and other IAs; World Bank clearance	प्रभावशीलता के 3 महीने के भीतर	अर्जुन ने पीएमयू/पीआईयू भूमिकाओं, न्यासी, खरीद/वित्तीय प्रबंधन, ई एंड एस, सत्यापन और रिपोर्टिंग को कवर करते हुए पीओएम को अपनाया और विश्व बैंक को मंजूरी दी.
तकनीकी, न्यासी, शिकायत निवारण और उनके परिणाम क्षेत्रों के ई एंड एस	ARJUN SPV with CRID (nodal IT department), HARTRON and HKCL	Before negotiation	प्रत्येक एजेंसी ने तकनीकी, न्यासी और ई

draft

पहलुओं के लिए कर्मचारियों/फोकल प्वाइंट को नामित करके सीआरआईडी, हार्ट्रॉन, एचकेसीएल और अर्जुन क्षमता को मजबूत करना.			एंड एस अधिकारियों के साथ एक पीआईयू को अधिसूचित किया है.
कार्यक्रम-स्तरीय जीआरएम महिलाओं, हाशिए पर रहने वाले समुदायों, प्रशिक्षुओं और गिग/फ्रीलांस कार्यकर्ताओं सहित सभी लाभार्थियों के लिए सुलभ.	ARJUN SPV	परियोजना प्रभावशीलता के 6 महीने के भीतर	अर्जुन परियोजना वर्ष 3 से हर 6 महीने में फीडबैक/शिकायत रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

बहिष्करण सूची

बैंक की PforR के तहत, संभावित रूप से महत्वपूर्ण प्रतिकूल E&S प्रभावों वाली गतिविधियाँ जो संवेदनशील, विविध या अभूतपूर्व हैं, अयोग्य हैं। इनमें आम तौर पर बिजली संयंत्र शामिल हैं; प्रमुख परिवहन बुनियादी ढांचा (नए राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, रेलवे और बंदरगाह); खनन/निष्कर्षण; वाणिज्यिक कटाई या बड़े पैमाने पर वन-उत्पाद प्रसंस्करण; बड़े पैमाने पर सतह/भूजल बुनियादी ढांचा, जिसमें बड़े बांध, जल आवंटन/परिवहन (जैसे अंतर-बेसिन हस्तांतरण), और पानी की गुणवत्ता या उपलब्धता में महत्वपूर्ण बदलाव वाली गतिविधियां; और विनिर्माण/औद्योगिक प्रसंस्करण। कार्यक्रम-विशिष्ट बहिष्करण हैं:

- एसी छत शीट और पाइप सहित एस्बेस्टस सामग्री का परिचय।
- ऋणभार के साथ निजी भूमि अधिग्रहण या सरकारी भूमि अधिग्रहण।
- ऐसी गतिविधियाँ जिनमें अनैच्छिक पुनर्वास या जबरन बेदखली की आवश्यकता होती है।
- नए डेटा केंद्रों या प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण (कोई ग्रीनफील्ड निर्माण नहीं)।
- राष्ट्रीय उद्यानों या वन्यजीव अभयारण्यों के निकट गतिविधियां।

सुझाव और टिप्पणियां

कृपया इस मसौदे पर अपने सुझाव और टिप्पणियां ARJUN Council SPV को arjun-spv@hry.gov.in या arjun.spvharyana@gmail.com पर भेजें।

draft